उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-03/2017/562जेएल/22-3-17-02जी/2017
लखनऊ: दिनांक: 09 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका सं0-563(एमबी)/2017-उमेश दीक्षित बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य दायर की गयी थी, जिसमें प्रतिवादी संख्या-5 से 9 क्रमशः संजू पुत्र श्री रघुवीर, छैलू पुत्र श्री रामदत्त, शत्रोहन पुत्र श्री रामदत्त, परमानन्द पुत्र श्री उपेन्द्र, निवासीगण-ग्राम-हिसमपुर जकरिया, थाना-मछरेहटा, जिला-सीतापुर एवं हरि शंकर पुत्र श्री राजा राम, निवासी-ग्राम-राजपुरखरग, थाना-मछरेहटा, जिला-सीतापुर को जिला कारागार से केन्द्रीय कारागार में स्थानान्तरित किये जाने का अनुतोष मांगा गया था। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11-01-2017 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं :-

> ".....We hereby dispose of this petition with direction to Principal Secretary Home, U.P.,Lucknow to consider a copy of this petition as a representation and take appropriate decision/action within two months.
>
> Shri R.K.Dwivedi, learned counsel for the State shall forward a copy of this petition, and copy of the order to Principal Secretary Home,U.P., Lucknow for compliance."

2- प्रश्नगत रिट याचिका की प्रति एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-01-2017 की प्रमाणित प्रति श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी, अपर शासकीय अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के पत्र दिनांक 16-01-2017 एवं याचिकाकर्ता श्री उमेश दीक्षित पुत्र स्व0 रामनरेश दीक्षित, निवासी-ग्राम-हिसमपुर जकरिया, पोस्ट-भदेभर, जनपद-सीतापुर के पत्र दिनांक 20-01-2017 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी। प्रश्नगत प्रकरण में महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0,लखनऊ से आख्या/प्रस्ताव प्राप्त किया गया, जो उनके पत्र संख्या-6217/सामा-1(3)/बंदी रिट/2017, दिनांक 01-03-2017 के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया गया।

3- प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-01-2017 के अनुपालन में याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र एवं महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध निम्नलिखित 05 (पॉच) सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को तालिका में उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित केन्द्रीय कारागार में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धी की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी हरिशंकर पुत्र श्री राजाराम	जि0का0 सीतापुर।	के0का0 बरेली।
2	सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी संजू पुत्र श्री रघुवीर	जि0का0 सीतापुर।	के0का0 बरेली।
3	सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी छैलू पुत्र श्री रामदत्त	जि0का0 सीतापुर।	के0का0 बरेली।
4	सिद्धदोष बंदी परमानन्द पुत्र श्री उपेन्द्र नाथ	जि0का0 सीतापुर।	के0का0 बरेली।
5	सिद्धदोष बंदी शत्रोहन पुत्र श्री रामदत्त	जि0का0 सीतापुर।	के0का0 बरेली।

4- तदनुसार याचिकाकर्ता श्री उमेश दीक्षित का प्रत्यावेदन एतदद्वारा निस्तारित किया जाता है।

देबाशीष पण्डा
प्रमुख सचिव।

संख्या-03/2017/562जेएल(1)/22-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित :-

1- पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-6217/सामा-1(3)/बंदी रिट/2017, दिनांक 01-03-2017 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से मा0 न्यायालय एवं शासन को अवगत करायें।
3- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर/बरेली।
4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली एवं पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
5- श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी, अपर शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 16-01-2017 के संदर्भ में।
6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली एवं अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।
7- याचिकाकर्ता श्री उमेश दीक्षित पुत्र स्व0 राम नरेश दीक्षित, निवासी-ग्राम-हिसमपुर जकरिया, पोस्ट-भदेभर, जनपद-सीतापुर।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।